जननी एक्सप्रेस योजना

दिशा–निर्देश

1. **उद्देश्य–** विभाग द्वारा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थागत प्रसव हेतु निःशुल्क परिवहन साधन जननी एक्सप्रेस के माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है–

    - निवास से संस्था तक
    - जटिलता होन पर उच्च संस्था में रेफर करने पर
    - डिस्चार्ज उपरांत स्वास्थ्य संस्था से निवास तक

2. **पात्रता–** जननी एक्सप्रेस योजना का लाभ निम्न परिस्थिति में ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. हितग्राही को प्रदान किया जाता है।

    - संस्थागत प्रसव हेतु समस्त (ग्रामीण तथा शहरी) गर्भवती महिलाएं।
    - प्रसव पश्चात् या प्रसव पूर्व किसी आकस्मिक परिस्थिति के प्रबंधन के लिए।
    - बीमार नवजात शिशु एवं बच्चों को चिकित्सकीय उपचार हेतु।
    - गंभीर एवं कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में लाने हेतु।
    - जननी सुरक्षा योजना के सभी हितग्राहियों को।

3. **वाहन का स्वरुप–** क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुये प्राथमिकता के आधार पर टैक्सी परमिट की सफेद रंग या चार पहिया वाहन जिसमें निम्न अनिवार्यता होने का प्रावधान किया जाए। टैक्सी कोटे का वाहन उपलब्ध न होने पर निजी वाहन को अनुबंधित किया जा सकता है।

    - वाहन के ऊपर नीली लाईट तथा सायरन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
    - वाहन के पीछे की सीट लंबी हो ताकि, मरीज सुगमता से लेट सके।
    - एक फोल्डिंग स्ट्रेचर हो।
    - वाहन में अंदर ड्रायवर तथा पीछे के हिस्से के बीच पर्दा हो।

    वाहन का वाह्य स्वरुप– वाहन का बाहरी स्वरुप यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से तैयार की गई डिजाईन के आधार पर किया जाये। वाहन के चारों ओर जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस लिखा जाए तथा अन्य विवरण जैसे– कॉल सेंटर का नम्बर, 24 घण्टे सुविधा, उपलब्धता का स्थान आदि।

4. **वाहन की उपलब्धता–** वाहन, जिले के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मुख्यालय निर्धारित कर रखे जाने का प्रावधान किया जाये।

5. **वाहन चालक–** प्रत्येक वाहन पर 2 वाहन चालक की व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे कि 24 घण्टे रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके तथा जिसके पास वैध ड्रायविंग लाइसेंस हो। वाहन चालक न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिये। वाहन चालक को हल्की नीले रंग का एप्रेन पहनना होगा जिस पर उसके नाम की पट्टिका लगी होगी। वाहन चालक के पास एक मोबाईल फोन होना आवश्यक होगा जिससे कॉल सेंटर द्वारा वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

   वाहन चालक को प्रशिक्षण– वाहन चालक को फर्स्ट–एड का 2 दिवस का संक्षिप्त प्रशिक्षण अथवा शासन द्वारा तय कोई अन्य प्रशिक्षण आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दिया जाये। प्रशिक्षण का दायित्व जिला सिविल सर्जन का होगा। लॉजिस्टिक की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जायेगी। फर्स्ट–एड एवं डिलेवरी किट में रखी जाने वाली सामग्री सभी वाहनों हेतु समान रहेगी, इसे नियमित रुप में खपत होन के आधार पर स्थानीय अस्पताल द्वारा प्रतिपूर्ति आवश्यकतानुसार की जाये। योजना संचालन से पूर्व जिला/विकासखंड के प्रभारी अधिकारी अथवा कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लाईसेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। यदि वाहन चालक को बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में नये वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लाईसेंस की उपलब्धता प्रमाणित की जानी चाहिये। वाहन चालक द्वारा मरीज अथवा गर्भवती महिला को नजदीक के शासकीय अस्पताल में अथवा मरीज एवं उसके परिजनों के चाहे जाने पर नजदीक के निजी अस्पताल में ले जाया जायेगा। निजी अस्पताल में ले जाने पर भी मरीज अथवा गर्भवती महिला से कोई शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। वाहन पर वाहन चालक के अलावा अन्य कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं होना चाहिये तथा वाहन का संचालन नियुक्त वाहन चालक द्वारा ही किया जाना चाहिये।

6. **वाहनों को अनुबंध करने की प्रक्रिया–** जिले के समस्त विकासखंडों हेतु जननी एक्सप्रेस योजना का अनुबंध अनिवार्य होगा। अनुबंध की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जाये। जिले की आवश्यकता के अनुरुप वाहनों की संख्या निर्धारित कर 2 वर्ष तक वाहन के उपयोग हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाये। निविदा में वाहन के लिये उपरोक्त वर्णित सुविधाएं वा अनिवार्य व्यवस्थाओं के साथ वाहन को किस स्वास्थ्य संस्था पर रखा जाना है, तथा उस संस्था के अधीन समस्त ग्रामों की सूची का भी उल्लेख किया जाये। विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी निविदा हेतु आवेदन नही कर सकते है।

   निविदा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में जारी कर जननी सुरक्षा योजना के प्रशासकीय मद से किया जाये। प्रत्येक जिले के क्षेत्र के भौगोलिक फैलाव व वर्ष में होने वाले संभावित प्रसव, बीमार बच्चों में रेफरल की संख्या को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक हेतु दो तथा अधिक क्षेत्रफल वाले ब्लॉक हेतु चार वाहन अनुबंधित किये जा सकते हैं। वाहन की संख्या का निर्धारण करते समय इन बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि दूरी के आधार पर कितना समय लग रहा है, कितने कॉल वाहन के आभाव में अटेण्ड किये गये हैं, किने समय में मरीज पहुॅचाया जा रहा है। कितने कॉल वाहन के आभाव में अटेण्ड ही नहीं किये गये हैं, कितना पिकअप और कितना ड्रापबैक है। न्यूनतम 75 प्रतिशत मरीजों को 1 घण्टे के भीतर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुॅचाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये इतने वाहन ही लिए जाये जिना अधिकतम उपयोग हो सके एवं पिकअप न्यूनतम 90 प्रतिशत तथा ड्रापबैक न्यूनतम 70 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके। एक या एक से अधिक कितने वाहन किस–किस सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराने हैं इसका निर्धारण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाये। **अनुबंधित वाहन के रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। यदि 24 घण्टे के अन्दर वाहन की आवश्यक मरम्मत नहीं की जाती है या वैकल्पिक वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो रुपये 1500/– प्रतिदिन आर्थिक दण्ड का प्रावधान होगा। एक वर्ष में तीन दिवस से अधिक दिन तक वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर**

अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत सम्मिलित वाहन जिला, तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय पर निर्दिष्ट स्थानों पर 24 घण्टे उपलब्ध रहेंगे। इन वाहनों का योजना के अलावा अन्य कोई उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने की स्थिति में अथवा अनुबंध का उल्लघन करने पर संस्था का अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा संस्था को ब्लैक–लिस्ट कर भविष्य में पुनः अनुबंधित नहीं किया जाएगा। वाहन से मरीज अथवा उसके परिजन को या अन्य किसी को दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से कोई नुकसान होने की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी। कुल अनुबंधित वाहनों मेंसे एक वाहन को शव वाहन के रुप में चिन्हित किया जा सकता है।

अनुबंध मॉह में न्यूनतम 1500 किलोमीटर वाहन उपयोग के आधार पर किया जावेगा वा ऑफर भी इसी आधार पर बुलाये जावेंगे। 1500 किलोमीटर प्रतिमॉह से अधिक वाहन चलन पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर अधिकतम रु. 6.00/– रुपये की खुली निविदा के माध्यम से ही दर निर्धारित कर भुगतान की जाए।

अनुबंध हेतु दरें देते समय अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा इसमें सभी प्रकार के कर/शुल्क जैसे–पार्किंग, टोल टैक्स तथा पी.ओ.एल. की दरों में समय–समय पर होने वाली वृद्धि, जी.पी.एस. इन्स्ट्रूमेंट तथा मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट आदि को ध्यान में रखते हुये दी जाना चाहिये। वाहन प्रदायकर्ता की लागत पर ही जी.पी.एस. इन्स्ट्रूमेंट के साथ वाहन लिया जान अनिवार्यता है जी.पी.एस. उपकरण के कोड की जानकारी सी.एम.एच.ओ. राज्य स्तर पर भी उपलब्ध करायें। अनुबंध की अवधि के दौरान पेट्रोल व डीजल की दरों में वृद्धि होने पर प्रति–किलोमीटर की दरों में बदलाव जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत किया जा सकता है।

ऑफर परीक्षण प्रक्रिया– उपयोग में आने वाले वाहन तकनीकी दृष्टि से बेहतर हो इस हेतु निम्न कार्यवाही की जाये–

तकनीकी ऑफर– पहले तकनीकी तथा वित्तीय ऑफर अलग–अलग लिफाफे में एक ही नियत तिथि को बुलाये जाये। तकनीकी ऑफर हेतु धरोहर राशि रु. 25000/– प्रति–वाहन जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में आवेदनकर्ता द्वारा जमा की जाये। नियत तिथि पर पहले तकनीकी ऑफर का लिफाफा खोला जायेगा। तकनीकी ऑफर में देखा जावे कि–

- अनुबंध तिथि को वाहन का पंजीयन दो वर्ष से अधिक पुराना न हो।
- वाहन का Comprehensive Insurance किया गया है एवं वैध पंजीयन, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि अद्यतन एवं पूर्ण होने चाहिए।
- प्रति–वाहन सुरक्षा निधि रु. 25000/– की राशि का डिमांड ड्राफ्ट आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के ऑफर के साथ देय होगा।
- वाहन की सतत् मॉनीटरिंग हेतु वाहनों में जी.पी.एस. व्यवस्था अनिवार्य होगी, जिसके भुगतान की व्यवस्था अनुबंधित एजेंसी द्वारा की जाये।

7. **वित्तीय प्रबंधन–** जननी एक्सप्रेस अनुबंधित वाहनों का भुगतान कॉल सेंटर पर उपलब्ध जानकारी तथा लॉगबुक के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरांत जिला स्तर पर आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल से किया जाए। **इसके व्यय का लेखा मातृ स्वास्थ्य के रेफरल परिवहन मद में संधारित किया जाए।** इस कार्य की पूर्णरुपेण समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्ति किया जाये।

8. **<u>कॉल सेंटर के माध्यम से सम्पर्क व्यवस्था–</u>** राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड रेफरल परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। जिसमें जननी एक्सप्रेस अंतर्गत अनुबंधित वाहनों को भी सम्मिलित किया जाएगा। जननी एक्सप्रेस वाहनों के संचालन हेतु कॉल सेंटर जिला अस्पताल परिसर में स्थापित रहेगा तथा इसमें एक कम्प्यूटर, दो टेलीफोन लाईन्स एवं चार कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा आधार पर उपलब्ध रहेंगे। **यह नियंत्रण कक्ष 24X7 आधार पर कार्यशील रहेगा।** योजना में अनुबंधित प्रत्येक वाहन चालक के पास एक मोबाईल फोन उपलब्ध रहेगा जिससे कि चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में परिवहन सुविधा उपलबध कराने के लिये कॉल सेंटर से उन्हें निर्देशित किया जा सकेगा। वाहन जिले में विभिन्न स्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे। काल सेंटर में चिकित्सकीय परिवहन हेतु सूचना प्राप्त होने पर प्रसूता/बच्चों का विवरण व्यवस्था की जावेगी। यूनीसेफ द्वारा तैयार किये गये कॉल सेंटर हेतु साफ्टवेयर के आधार पर जिला स्तर पर प्रतिमॉह कॉल सेंटर द्वारा प्रत्येक अनुबंधित वाहन द्वारा लाभांवित हितग्राहियों की संख्या, रिस्पान्स टाईम, कि.मी. की विकासखंडवार समीक्षा की जा सकेगी, जिससे अनुबंध राशि प्रदान करने में सरलता होगी तथा अनुबंधित वाहनों की मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी।

   इंटीग्रेटेड रेफरल परिवहन व्यवस्था लागू होने के उपरांत जननी एक्सप्रेस वाहनों का परिचालन केन्द्रीय कॉल सेंटर क माध्यम से किया जायेगा।

9. **<u>वाहन संचालन संबंधी सामान्य निर्देश–</u>**

   - वाहन पूर्ण रुप से जननी एक्सप्रेस व वर्णित प्रयोजन के रुप में उपयोग होगा, अतः इस हेतु संलग्न प्रारुप में वाहन चालक द्वारा लॉगबुक रखी जावेगी जो उसके द्वारा स्वयं भरी जावेगी। गंतव्य अस्पताल पर पहुॅचने के पश्चात् वहॉ उपस्थित चिकित्सा अधिकारी/विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक अथवा अन्य किसी अधिकारी/अस्पताल के स्टॉफ तथा मरीज अथवा उसके परिजन से उसे सत्यापित कराया जावेगा।

   - वाहनों का उपयोग सामान्यतः राज्य की सीमा के भीतर ही किया जायेगा, विशेष परिस्थिति में राज्य से बाहर किसी मरीज को रेफरल हेतु ले जाने पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क/टैक्स पृथक से नहीं दिया जायेगा।

   - यदि किसी शासकीय संस्था में समुचित उपचार की व्यवस्था न होने के कारण हितग्राही को किसी अन्य स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर शासकीय एम्बुलेंस/108 सेवा का उपयोग किया जाये, यदि शासकीय एम्बुलेंस किसी कारणवश उपलबध नहीं होती है तो जननी एक्सप्रेस वाहन का उपयोग किया जा सकता है।

   - अनाधिकृत रुप से हितग्राही से कोई शुल्क वसूली नहीं की जाये। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए संबंधित संस्था पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा अथवा संस्था का अनुबंध भी समाप्त किया जा सकेगा तथा संस्था को ब्लैक लिस्ट कर भविष्य में पुनः अनुबंधित नहीं किया जाएगा।

10. **<u>एजेंसी/संस्था को राशि की भुगतान व्यवस्था–</u>** जिस एजेंसी द्वारा अनुबंध पर वाहन प्रदाय किया गया है उसके द्वारा प्रतिमॉह 1 से 30 दिवस के भीतर कितना वाहन उपयोग हुआ है तथा कितने हितग्राहीयों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसका देयक आगामी मॉह के सात दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये जिसका सतयापन सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित जिला

मुख्यालय से दूरी के आधार पर, कॉल सेंटर के रिकार्ड, लॉगबुक तथा जी.पी.एस. के आधार पर किया जाए तत्पश्चात् चैक द्वारा भुगतान किया जाए। इंटीग्रेटिड परिवहन व्यवस्था लागू होने के पश्चात् भुगतान व्यवस्था तदानुसार की जाएगी।

11. **जिला स्वास्थ्य समिति की भूमिका–** वाहन के अनुबंध, संचालन एवं मॉनीटरिंग का समस्त कार्य जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाये। जी.पी.एस. के माध्यम से वाहनों की ट्रेकिंग की जानकारी जिला समिति को प्रस्तुत की जाए।

12. **मैदानी स्वास्थ्य प्रदायकर्ताओं/हितग्राही का कॉल सेंटर से सामंजस्य–** आशा द्वारा प्रतिमॉह उनके ग्राम क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों का आंकलन किया जाता है और उनके पास यह जानकारी उपलब्ध रहती है कि, मॉह में किस–किस परिवार की महिलाओं में प्रसव होना है तथा यह सूची मासिक आधार पर ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर को प्रदान की जाये ताकि वे जननी एक्सप्रेस तथा कॉल सेंटर में अपने स्तर पर भी नियमित संपर्क बना सके, इससे अंतिम समय में होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से भी बचा जा सकता है।

13. **मॉनीटरिंग व्यवस्था–** जी.पी.एस. के आधार पर तथा भ्रमण कर प्रत्यक्ष रुप से योजना की मॉनीटरिंग का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मॉनीटरिंग में सहयोग प्रदान किया जायेगा। मॉह अंत में कुल लाभांवित हितग्राहियों के 5 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन डी.पी.एम. द्वारा किया जाये। संभागीय संयुक्त संचालक तथा संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा भी प्रत्येक जिले के दो प्रतिशत लाभांवित हितग्राहियों का सत्यापन किया जाये।

14. **रिपोर्टिंग व्यवस्था–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक मॉह की 5 तारीख तक संबंधित उप–संचालक को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट संचालनालय स्तर पर प्रेषित की जाये तथा एक प्रति संभागीय संयुक्त संचालक को भी प्रेषित की जाये।

15. **योजना का प्रचार–प्रसार–** यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई प्रचार–प्रसार सामग्री के आधार पर जननी एक्सप्रेस योजना तथा कॉल सेंटर का प्रचार–प्रसार किया जाये। एम.सी.पी. कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका पर कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक की प्रविष्टि की जाये, जिससे हितग्राही को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।